



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2025/D-1

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 272690 दिनांक 19/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Keshav Kumar Sharma S/o PRAHLAD NARAYAN SHARMA	श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी श्री रामकरण अग्रवाल	360	45.00 SQ. METER	JDA	KALPNA NAGAR Sector/Block-E	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	जेडीए की आवसीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड सं. ई-360 क्षेत्रफल 45 व.मी. श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी श्री रामकरण अग्रवाल को जेडीए के विक्रय पत्र सं. 1411 दिनांक 23.05.2014 को पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात श्रीमती मीना अग्रवाल पत्नी श्री रामकरण अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 19.07.2023 को रवि सिंह पुत्र प्रताप सिंह को किया गया। रवि सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने उक्त भूखण्ड का बेचान 04.08.2023 को श्रीमती लविका सक्सेना पत्नी श्री अभिषेक सक्सेना



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

को किया गया।  
श्रीमती लविका  
सक्सेना पत्नी श्री  
अभिषेक सक्सेना  
द्वारा उक्त  
भूखण्ड का बेचान  
02.12.2025 को  
केशव कुमार शर्मा  
पुत्र श्री प्रहलाद  
नारायण शर्मा को  
किया गया।  
आवेदनकर्ता श्री  
केशव कुमार शर्मा  
पुत्र श्री प्रहलाद  
नारायण शर्मा  
द्वारा लीज होल्ड  
से फ्री होल्ड हेतु  
आवेदन किया  
गया

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Keshav Kumar Sharma S/o PRAHLAD NARAYAN SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |